

कार्यालय निदेशक
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

पत्रांक-राकृप्रसं/ /का0स0अ0/प्रशि0सामा0/2016-17 दिनांक: 06-05 :अप्रैल, 2016

समस्त उप कृषि निदेशक
उ0प्र0

दिनांक 14.03.2016 को प्रमुख सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में निर्देशित किया गया है कि राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर प्रशिक्षण हेतु उन्ही कृषकों को नामित किया जाय जिनका परदर्शी किसान सेवा योजना (डी.बी.टी.) में पंजीकरण हो। यदि किन्ही परिस्थित में ऐसे कृषको को भेजा जाता है जो डी.बी.टी. में पंजीकृत नहीं है तो कृषको को यह सूचित कर दिया जाय कि अपने साथ आई.डी. प्रूफ, खतौनी, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि अभिलेखों के साथ प्रशिक्षण में सहभागिता करें, ताकि उनका पंजीकरण राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर किया जा सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रमुख सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही कृषको को प्रशिक्षण हेतु भेजेगें।

A.D. Computer

(डा0 मुकेश गौतम)
निदेशक

पत्रांक-राकृप्रसं/ 266 /का0स0अ0/प्रशि0सामा0/2016-17 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:-

1. कृषि निदेशक उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से जनपदीय उप कृषि निदेशकों को निर्देशित करने तथा संस्थान पर पंजीकरण हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को महोदय के अवलोकनार्थ।

श्री अरवि
श्री अरवि
- 02 Website पर
लखनऊ

डा0 मुकेश गौतम
4/5/16
निदेशक